



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2013-आश्विन 19, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से मेसर्स शक्ति ऑप्टो टेलीलिक्स का कार्यालय 147, मेजेनाईन फ्लोर जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल पर खोला गया है एवं फेक्ट्री 26 ए, सेक्टर-सी, औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप पर स्थित है। दिनांक 10 मई, 2013 से भागीदार श्रीमती क्रीति मलिक के स्थान पर श्रीमती मीनाक्षी मलिक इस फर्म की भागीदार रहेंगी एवं उनकी भागीदारी प्रतिशत 50 रहेगा। इस सूचना से यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो कृपया फर्म के कार्यालय पर सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ 15 कार्य दिवस के भीतर सम्पर्क करें।

मेसर्स शक्ति ऑप्टो टेलीलिक्स,

मीनाक्षी मलिक

(भागीदार)

ई-4/128, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

मेसर्स शक्ति ऑप्टो टेलीलिक्स,

विवेक मलिक

(भागीदार)

ई-4/128, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(376-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 फरवरी, 2011 को श्री बालाजी एसोसिएट्स नाम से पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुई थी, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से उक्त पार्टनरशिप डीड में संशोधन किया गया था तथा 01 अप्रैल, 2013 को नरसिंह दास अग्रवाल पुत्र श्री बाल मुकुन्द अग्रवाल, वेरागपुर, दाना ओली, लश्कर, ग्वालियर तथा अनूप खन्डेलवाल पुत्र श्री विशम्भरदयाल खन्डेलवाल, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया तथा 01 अप्रैल, 2013 को अंकुर खन्डेलवाल पुत्र श्री अतुल खन्डेलवाल, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर तथा मोहन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद शर्मा, साइंस कॉलेज के पास, शांती नगर, शिवपुरी को पार्टनर बनाया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को श्री बालाजी एसोसिएट्स फर्म में आठ पार्टनर हैं श्री पुरुषोत्तमदास अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ननूमल अग्रवाल, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर, श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, छत्री बाजार, लश्कर, ग्वालियर, किशोर महेश्वरी पुत्र श्री रामचन्द्र महेश्वरी, सब्जी मण्डी, मुरैना, गोविन्द मित्तल पुत्र श्री कन्हैयालाल मित्तल, चिटनिस की गोठ, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर, सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री गोपीनाथ शर्मा, रघुनाथपुर, तहसील विजयपुर, श्योपुर, अंकुर खन्डेलवाल पुत्र श्री अतुल खन्डेलवाल, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर, श्रीमती अर्चना जैन पत्नी अजीत कुमार जैन, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर, मोहन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद शर्मा, साइंस कॉलेज के पास, शांती नगर, शिवपुरी है। आज दिनांक को उक्त पार्टनरशिप फर्म में आठ साझेदार हैं, सूचनार्थ प्रकाशित।

Punit Kumar Kohli

(Advocate)

Chitnis ki Goth, Gwalior.

Mob. 9300644063

(377-बी.)

आम सूचना

आम जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. राम फैशन इण्डस्ट्रीज का पता, ग्राम-बेनीगंज, पोस्ट-खजुराहो, तहसील राजनगर जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) था. दिनांक 12 अगस्त, 2013 से मे. राम फैशन इण्डस्ट्रीज का पता, रेलवे स्टेशन पाय, राजनगर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) हो गया है.

अतः दिनांक 12 अगस्त, 2013 के उपरान्त से सभी साझेदार श्री राहुल राय एवं राजाराम कुशवाहा मे. राम फैशन इण्डस्ट्रीज के समस्त प्रकार के पत्र संप्रेषण एवं लेनदारी तथा देनदारी के जिम्मेदार रहेंगे.

मे. राम फैशन इण्डस्ट्रीज,
राहुल राय, राजाराम कुशवाहा,
(साझेदार)

(378-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2013 से फर्म कैलाश प्रिंटिंग प्रेस, 145-बी, सेक्टर-एच, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल के भागीदार क्रमशः श्री शिवनारायण सुहाने, श्रीमती सुशीला देवी सुहाने, श्रीमती निधी सुहाने एवं श्रीराम सुहाने उक्त फर्म से रिटायर हुये हैं, जिनका फर्म से अब किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है. फर्म के नाम से किसी प्रकार का संव्यवहार उक्त व्यक्तियों से न किया जावे एवं अगर किया जाता है तो फर्म का कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा. दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से क्रमशः श्री मनीष सुहाने एवं श्रीमती पायल सुहाने फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं. उक्त परिवर्तन के बाद फर्म में अब श्री कैलाश नारायण सुहाने, श्रीमती उमा देवी सुहाने, आशीष सुहाने, मनीष सुहाने, श्रीमती पायल सुहाने एवं श्रीमती श्रद्धा सुहाने कुल 6 भागीदार हैं.

मैसर्स कैलाश प्रिंटिंग प्रेस
आशीष सुहाने,
(पार्टनर)
145-बी, सेक्टर-एच, गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया,
भोपाल (मध्यप्रदेश).

(375-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र KETAN KUMAR MEHTO S/o SITLESH MEHTO, केन्द्रीय माध्य. शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की शाखा संस्था 03270 के. वि. नं.1 आयुध निर्माणी, इटारसी की माध्य. विद्या. परीक्षा की अंकसूची अनुक्रमांक 1189528 ग्रेड शीट प्रमाण-पत्र क्रमांक 0018042 है. जिसमें मेरा एवं मेरी पत्नी Smt. SHEL MEHTO एवं पुत्र का सरनेम MAHTO गलत अंकित है. जबकि सही सरनेम MEHTO है. मेरे द्वारा के. माध्य. शिक्षा बोर्ड, दिल्ली को उक्त सरनेम की स्पेलिंग सही करने हेतु आवेदन किया है.

सितलेश मेहतो,
क्वार्टर नंबर 1265 A, आ. नि. इटारसी.

(369-बी.)

CHANGE OF NAME

Be it known that I, Mohammad Zohaibuddin Qureshi Son of Zahoor Uddin, Resident of House No. 752, Near Aleem Shadi Hall, Choki Talliya Road, Masjid Gulam Mehboob, Budhwara, District Bhopal-462001 (M.P.) has change my name and hence-forth I, shall be known as Zohaib Uddin to Mohammad Zohaibuddin Qureshi in future.

Old Name :

(ZOHAIB UDDIN)

New Name :

(MOHAMMAD ZOHAIBUDDIN QURESHI)

Address—House No. 752, Near Aleem Shadi Hall,
Choki Talliya Road, Masjid Gulam Mehboob,
Budhwara, District Bhopal-462001 (M.P.)

(371-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मेरी मिल्डर्ड जी पिता जार्ज कुट्टी था. शादी के पश्चात् मैंने अपना नाम बदलकर श्रीमती मिली सक्सेना पति विवेक सक्सेना रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती मिली पति विवेक सक्सेना के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(कु. मेरी मिल्डर्ड जी)
पिता जार्ज कुट्टी.

नया नाम :
(मिली सक्सेना)
पति विवेक सक्सेना,
पता—जी-2, सेम्स हास्पिटल परिसर, पिक बिल्डिंग,
ग्राम भँवरासला, साँवेर रोड, इंदौर (म. प्र.).

(370-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि त्रुटिवश शैक्षणिक सूचियों में मेरे पुत्र का नाम शुभम् गुप्ता पिता श्री संतोष कुमार गुप्ता अंकित है, जबकि सही नाम शुभम् जायसवाल पिता श्री संतोष जायसवाल है. अतः सभी दस्तावेजों/रिकार्डों में मेरा एवं मेरे पुत्र का सही नाम (शुभम् जायसवाल पिता श्री संतोष जायसवाल) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :
(संतोष कुमार गुप्ता)

नया नाम :
(संतोष जायसवाल)
पता-478, पंसारी मोहल्ला, गोरखपुर,
जबलपुर (म. प्र.).

(372-बी.)

त्रुटि सुधार

मेरी पुत्री कु. संजना राय के स्कूल के रिकॉर्ड में माता का नाम भूलवश शुम्पा राय लिखा गया है, जबकि वास्तविक नाम वंदिता राय है, जिसकी सूचना शपथ-पत्र के माध्यम से मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के द्वारा सत्यापित करा ली गई है. अतः शुम्पा राय की जगह वंदिता राय पढ़ा जावे.

गलत नाम :
(शुम्पा राय)

सही नाम :
(वंदिता राय)
पत्नि डॉ. संजय राय,
राजपाल चौक, छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

(373-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Suresh Rathor S/o Hukum Chandra Rathore, declare that now a days I have Changed my name from Suresh Rathor to " Suraysh Rathor " and I will be known as Suraysh Rathor in all proceedings and transactions as well as upon all occasions whatsoever.

Old Name :
(SURESH RATHOR)

New Name :
(SURAYSH RATHOR)
S/o Hukum C Rathor
Gujari Chowk, Rajpur-451447
Dist. Barwani (M.P.).

(374-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित उत्कर्ष बिन्दल (UTKARSH BINDAL) आत्मज श्री प्रमोद बिन्दल (PRAMOD BINDAL) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित उत्कर्ष अग्रवाल (UTKARSH AGRAWAL) आत्मज श्री प्रमोद बिन्दल (PRAMOD BINDAL) हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नाम उपनाम सहित उत्कर्ष अग्रवाल (UTKARSH AGRAWAL) आत्मज श्री प्रमोद बिन्दल (PRAMOD BINDAL) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(उत्कर्ष बिन्दल)

(UTKARSH BINDAL)

(379-बी.)

नया नाम :

(उत्कर्ष अग्रवाल)

(UTKARSH AGRAWAL)

निवासी-14/304, बिन्दल सदन, ओल्ड गल्ला मण्डी,

गेट मार्ग, गुना, जिला गुना (म.प्र.).

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

क्र. जी.बी./दो(16)2013/3363.—ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग <https://mpeprocurement.com> से प्रशिक्षण के लिये माइयूल एवं फोल्डर की सामग्री (विस्तृत विवरण तकनीकी विवरण में अंकित है) मुद्रण कार्य हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पंजीकृत मुद्रकों जिनके पास बहुरंगी मुद्रण मशीन एवं परफेक्ट बाईंडिंग मशीन स्थापित हो, से सील बन्द लिफाफे में पेपर सहित मुद्रण, बंधन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित प्रति हजार दरें दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को दोपहर 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेंगी. निविदा उसी दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी.

पंजीकृत फर्म ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी अभिप्रमाणित पेपर नमूने, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर एवं निविदा मूल्य राशि रुपये 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

मांगकर्ता कार्यालय/विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईड www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in एवं <https://mpeprocurement.com> पर भी रखा गया है.

(556)

Bhopal, Dated 27th September, 2013

No. GB-II/(16)/2013/3363.— ONLINE Bidding are invited on <https://mpeprocurement.com>. from the Registered Printers of Government Printing and Stationery, Madhya Pradesh, Bhopal who have Multicolour Printing and Perfect Binding Machine for Printing of Module and Folder (description mentioned in technical details) including paper, printing and other charges with all taxes are invited in sealed envelopes on 22nd October, 2013 at 2.00 P.M. as per key dates.

2. In all respects complete tender document (Hard Copy) and tender document cost of Rs. 1,000/- in shape of D.D. must be received at the office of the undersigned latest by 3.00 P.M. on 22nd October, 2013 and the Envelope of Hard Copy of tender will be opened ONLINE on the same day. i.e. 22nd October, 2013 at 4.00 P.M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. Tender Notice and conditions of tender with technical details are also available at website www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in and for Online Bidding go through <https://mpeprocurement.com>.

AJIT KESARI,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(556-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र. क्र. /बी-113/12-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि “नेशनल काम्प्रिहेन्सिव मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन ट्रस्ट” डीके 2/187, दानिश कुंज सोसायटी, कोलार रोड, ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 24 सितम्बर, 2013 को विचार में लिया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता . . . “नेशनल काम्प्रिहेन्सिव मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन ट्रस्ट” डीके 2/187, दानिश कुंज सोसायटी, कोलार रोड, ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
2. चल सम्पत्ति . . . निरंक.
3. अचल सम्पत्ति . . . निरंक.

आज दिनांक 24 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

सुनील दुबे,

रजिस्ट्रार .

(530)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र बदनावर, जिला धार

जा. क्र. 423/12-08-2013.

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयन, तहसील बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश.

अतः श्री राधाकृष्ण भक्ति मण्डल ट्रस्ट कानवन द्वारा.—

01.	मुख्य ट्रस्टी श्रीमती लक्ष्मीबाई पति शांतीलाल शर्मा, निवासी कानवन	अध्यक्ष
02.	श्रीमती पार्वतीबाई श्री मांगीलाल जायसवाल, निवासी कानवन	उपाध्यक्ष
03.	श्रीमती रामकन्याबाई पति श्री रामेश्वर पांचाल, निवासी कानवन	सचिव
04.	श्रीमती सीताबाई पति श्री हिम्मतलाल पंवार, निवासी कानवन	कोषाध्यक्ष
05.	श्रीमती भूलीबाई पति श्री कमलसिंह सोलंकी, निवासी कानवन	सदस्य
06.	श्रीमती धापूबाई पति श्री भगतसिंह चौहान, निवासी कानवन	सदस्य
07.	श्रीमती गीताबाई पति श्री सत्यनारायण कुमावत, निवासी कानवन	सदस्य
08.	श्रीमती राधाबाई पति श्री महेशचंद्र जोशी, निवासी कानवन	सदस्य
09.	श्रीमती शशिकलाबाई पति श्री जीवनलाल जैन, निवासी कानवन	सदस्य
10.	श्रीमती आशाबाई पति श्री प्रहलादसिंह सोलंकी, निवासी कानवन	सदस्य
11.	श्रीमती निलमबाई पति श्री माखनजी सोनी, निवासी कानवन	सदस्य

तहसील बदनावर, जिला धार द्वारा एक आवेदन-पत्र श्री जी. पी. सिंह, अभि. के मार्फत मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4(2) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार में श्री राधाकृष्ण भक्ति मण्डल ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण तथा धार्मिक, क्रियाओं व विकास करना, समाज की सम्पत्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधियां आदि कार्यों को किया जाने हेतु लोक न्यास का गठन किया जाने का निवेदन किया गया। उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मेरे न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|--------------------|----|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | .. | श्री राधाकृष्ण भक्ति मण्डल ट्रस्ट, कानवन, तहसील बदनावर. |
| 2. न्यास का पता | .. | कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार. |
| 3. चल/अचल सम्पत्ति | .. | कुछ नहीं. |

अरुण रावल,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(531)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

भवन गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2013/1531.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए.आर./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./.....दिनांक.....की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष.....से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष.....का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(529)

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

पंजाब नेशनल बैंक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2013/1533.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए.आर./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./.....दिनांक..... की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 03 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है.

जिससे संस्था का वर्ष..... का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(529-A)

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2013/1532.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए.आर./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./.....दिनांक..... की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 03 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है.

जिससे संस्था का वर्ष..... का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(529-B)

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

मानस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2013/1534.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानस गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./108/दिनांक 21 मार्च, 1983 की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा वर्ष 05 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है।

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(529-C)

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊच,

तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2013/1535.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊच, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए.आर./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./.....दिनांक.....

की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(529-D)

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2013/1536.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./डी.आर./जी. डब्ल्यू. आर./.....दिनांक..... की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 02 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. वाजपेई,

उप-पंजीयक.

(529-E)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012-2013/व्यू/1.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	पैकेजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीयल, इंदौर	AR/IDR/950/10-05-1970	4425/30-10-2012	परि. 925/25-07-2009
2.	रजक लाण्डस इण्डस्ट्रीज, इंदौर	AR/IDR/393/01-04-1972	4425/30-10-2012	परि. 838/13-02-2003
3.	जिला नीराताड़ गुड़ उत्पादक, इंदौर	AR/IDR/829/17-01-1956	4425/30-10-2012	परि. 843/13-02-2003
4.	दलित वर्ग हड्डिखाद उद्योग, इंदौर	निरंक	4425/30-10-2012	परि. 4317/29-08-1997
5.	आदर्श श्रम उद्योग, रावद	निरंक	4425/30-10-2012	निरंक
6.	केवड़ा उद्योग, देपालपुर	AR/IDR/630/31-05-1998	4425/30-10-2012	परि. 3512/27-04-1976
7.	सर्वोदय दाल, चावल, इन्दौर	AR/IDR/125/08-03-1961	4425/30-10-2012	परि. 5479/13-09-1975
8.	चूना उद्योग, सिमरोल	AR/IDR/197/05-04-1963	4425/30-10-2012	परि. 5499/03-07-1970

अतः मैं, श्रीमती मोनिका सिंह, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

मोनिका सिंह,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(532)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., मगरधा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2001/991, दिनांक 17 सितम्बर, 2001 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री नितिन मेहरा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीजाडी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत उक्त समिति के पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., मगरधा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंम/परिसमापन/2001/991, दिनांक 17 सितम्बर, 2001 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री नितिन मेहरा, सहकारिता विस्तार अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(533)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 28 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी ईट कवेली निर्माण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., घोंघसिया	537/24-04-1984	195/08-05-2012
2.	कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., कट्टीवाड़ा	392/27-01-1966	195/08-05-2012
3.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सोण्डवा	464/18-10-2012	-
4.	आजाद ताड़ी गुड़ उत्पादक सह. संस्था मर्या., भीलखेड़ी	355/25-02-1965	-

अतः मैं, सुरेन्द्रसिंह चौहान, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

सुरेन्द्रसिंह चौहान,
परिसमापक व सहकारी निरीक्षक.

(534)

दिनांक 28 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गिट्टी निर्माण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., छोटी वेगलगांव	731/14-12-1992	446/18-10-2012
2.	महिला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जोवट	962/01-05-2001	459/18-10-2012

अतः मैं, बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आभूतियाँ या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(535)

बी. एस. सोलंकी,

परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर

विद्या नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भानपुरा, जिला मन्दासौर जिसका पंजीयन क्रमांक-06, दिनांक 03 दिसम्बर, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1561, दिनांक 23 सितम्बर, 2006 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/1870/परिसमापन/2013, दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

विद्या नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भानपुरा, जिला मन्दासौर के परिसमापक श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विद्या नगर सहकारी समिति मर्या., भानपुरा, जिला मन्दासौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1561, दिनांक 23 सितम्बर, 2006 एवं क्रमांक/परि./1870/2012, दिनांक 14 अगस्त, 2012 को निरस्त करते हुए संस्था पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है.—

1. श्री एम. एस. कीमती	अध्यक्ष
2. श्री एस. सी. जैन	सदस्य
3. श्री सुभाष भण्डारी	सदस्य
4. श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(536)

सहकारिता विभाग सहकारी कर्मचारियों की सहकारी समिति मर्या., मन्दासौर जिसका पंजीयन क्रमांक-326, दिनांक 25 मार्च, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/2235, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री गिरीश निम्बार्क, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

सहकारिता विभाग सहकारी कर्मचारियों की सहकारी समिति मर्या., मन्दासौर के परिसमापक श्री गिरीश निम्बार्क, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विद्या नगर सहकारी समिति मर्या., भानपुरा, जिला मन्दासौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/2235, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 को निरस्त करते हुए संस्था पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के

आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है। कमेटी निम्नानुसार है.—

1. श्री अनिल जैन	अध्यक्ष
2. श्री आर. के. जैन	सदस्य
3. श्री के. एल. वधवा	सदस्य
4. सुश्री विपिन बड़गोती	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

भारत सिंह चौहान,

उप-पंजीयक.

(536-A)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1431.—एकता ईट-भट्टा सहकारी समिति मर्या., बरेलीपार को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./1550, दिनांक 23 नवम्बर, 2000 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये एकता ईट-भट्टा सहकारी समिति मर्या., बरेलीपार, पंजीयन क्रमांक 464 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(537)

सिवनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1432.—महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./252, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 798 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(537-A)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1747.—म. ल. बा. कन्या हाईस्कूल सहकारी उप-भण्डार मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./75, दिनांक 17 जनवरी, 2003 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये म. ल. बा. कन्या हाईस्कूल सहकारी उप-भण्डार मर्या., सिवनी पंजीयन क्रमांक 585 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-B)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1748.—बैनगंगा मत्स्य संघ सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./870, दिनांक 17 नवम्बर, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये बैनगंगा मत्स्य संघ सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 760 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-C)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1749.—मदर टेरेसा म. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., बिठली को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./254, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मदर टेरेसा म. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., बिठली, पंजीयन क्रमांक 751 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-D)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1750.—डॉ. भीमराव अम्बेडकर चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./564, दिनांक 04 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये डॉ. भीमराव अम्बेडकर चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 703 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-E)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1751.—गंगोत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./565, दिनांक 04 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमति शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये गंगोत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 792 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-F)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1752.—ग्रामीण आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., छपारा (धारना) को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./255, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री बी. पी. सहारे, सहकारी निरीक्षक को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ग्रामीण आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., छपारा (धारना), पंजीयन क्रमांक 481 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-G)

सिवनी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1753.—महाराणा प्रताप प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., बरघाट को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./561, दिनांक 23 अप्रैल, 2003 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्री बी. पी. सहारे को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये महाराणा प्रताप प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., बरघाट, पंजीयन क्रमांक 587 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एन. सिंह

उप-पंजीयक.

(537-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भादाहैडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 03 मार्च, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 431, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भादाहैडी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेदरी जिसका पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 03 मार्च, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 432, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेदरी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-A)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरजीपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 29 अगस्त, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 433, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरजीपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-B)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भियापुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 16 फरवरी, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 434, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भियापुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(538-C)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टांडीकला जिसका पंजीयन क्रमांक 381, दिनांक 26 फरवरी, 1985 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 435, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टांडीकला को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(538-D)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपाहेडा पुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 28 मई 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 436, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपाहेडा पुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(538-E)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौलतपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 29 अगस्त, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 437, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौलतपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-F)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालपुरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 08 अगस्त, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 438, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालपुरिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-G)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झंझाडपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 26 फरवरी, 1985 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 448, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झंझाडपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-H)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 718, दिनांक 04 दिसम्बर, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 444, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री यू. के. सक्सेना, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-I)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरामांडू जिसका पंजीयन क्रमांक 334, दिनांक 08 अक्टूबर, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 441, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरामांडू को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-J)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाकनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 335, दिनांक 08 अक्टूबर, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 442, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाकनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-K)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटारी जिसका पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 20 जनवरी, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 443, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटारी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-L)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 26 सितम्बर, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 445, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटखेडी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-M)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरपोई, जिसका पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 27 जून, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 439, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरपोई को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है, कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-N)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भण्डावद, जिसका पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 16 जून, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 446, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भण्डावद को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-O)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालाहेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 447, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालाहेडा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-P)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दरियापुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 27 जून, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 448, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दरियापुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-Q)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगोरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 25 मई, 2011 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 449, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगोरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-R)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चमारखेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 890, दिनांक 22 जून, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 450, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चमारखेडा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-S)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोघटपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 664, दिनांक 28 दिसम्बर, 1989 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 451, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोघटपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-T)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1130, दिनांक 02 जुलाई, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 452, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-U)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्यावराकला, जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 02 जुलाई, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 453, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्यावराकला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(538-V)

राजगढ़, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1132, दिनांक 27 जुलाई, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 454, दिनांक 14 मई, 2013 को जारी किया जाकर, जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमालिया, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. सी. करैया, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(538-W)

आर. एस. गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., छिरैटा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 325, दिनांक 18 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1181 दिनांक 20 जून, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रमपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 410, दिनांक 15 मई, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-A)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सुन्दरपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 620, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 2264, दिनांक 05 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-B)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., छिदी, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 621, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 893, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-C)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., डूडा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 632, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1544, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-D)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रानीपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 426, दिनांक 20 सितम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 846, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-E)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चकरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 693, दिनांक 10 फरवरी, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-F)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., घासीपुरा, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 542, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 830, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-G)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., निवरौल, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 315, दिनांक 03 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1189, दिनांक 20 जून, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-H)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., अधियारीकला, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 499, दिनांक 02 दिसम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-I)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., खेरे का पुरा, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 812, दिनांक 31 मई, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-J)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., लोधे की पाली, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 441, दिनांक 24 दिसम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 822, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-K)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., गिरवास तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 610, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1463, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-L)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., डोंग, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 338, दिनांक 06 जुलाई, 1984 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 871, दिनांक 29 अप्रैल, 1985 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-M)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पिपाडीहेट, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 440, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 817, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-N)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., मसेरन, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 617, दिनांक 31 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 861, दिनांक 15 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-O)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सुजानपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 873, दिनांक 05 अक्टूबर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1482, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-P)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चिरुली, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 586, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 879, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-Q)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जमुहाँ, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 357, दिनांक 16 अप्रैल, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 836, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-R)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., अमायन, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 434, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 809, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-S)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., आंधयारी खुर्द, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 499, दिनांक 02 दिसम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(539-T)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पिपरसाना, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 802, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 932, दिनांक 03 अक्टूबर, 2010 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(539-U)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., खरौआ, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. AR/RND 318, दिनांक 03 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(539-V)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जलालपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 355, दिनांक 15 मई, 1984 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 7 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 7 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(539-W)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., नानापुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 579, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 7 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 7 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-X)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बेलमा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 483, दिनांक 09 सितम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 2297, दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 7 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 7 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-Y)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रहावली उभारी, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 631, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 7 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 7 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(539-Z)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रोहानीजागीर, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 601, दिनांक 31 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 7 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 7 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(540)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ररूआ, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 588, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. 2260, दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 07 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(540-A)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., विडरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 638, दिनांक 25 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्र. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 07 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(540-B)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., भटपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 531, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. 1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 07 मई, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(540-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

शिवा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., घुवारा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि शिवा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., घुवारा (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया है) की जाँच हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2012/1025, दिनांक 26 जून, 2012 के द्वारा श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि संस्था सहकारी अधिनियम 1960, नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है. जाँच अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा जाँच हेतु रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था की वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की अंकेक्षण टीपों से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
6. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(441)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा-श्री शैलेन्द्र कुमार निगम, अध्यक्ष,

एकता प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., चन्द्रला.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि एकता प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., चन्द्रला (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया है) की जाँच हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2012/1031, दिनांक 26 जून, 2012 के द्वारा श्री पी. एल. अहिरवार, सहकारी निरीक्षक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री अहिरवार द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि संस्था सहकारी अधिनियम 1960, नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है. जाँच अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा जाँच हेतु रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था की वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की अंकेक्षण टीपों से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
6. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,

उप-रजिस्ट्रार.

(441-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/830.— भारतीय महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/612, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्त के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्त दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/831.— राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 18 दिसम्बर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/609, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्त के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एम. धूलिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्त दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-A)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/832.—पर्व किसान दलहन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 30 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/607, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-B)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/833.—अमोदय ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., बमौरी जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 21 जुलाई, 1993 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/606, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बमौरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-C)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/834.—नवीन मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बजरंगगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 04 जनवरी, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/604, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-D)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/835.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुंदरखेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 1131, दिनांक 24 जून, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/601, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राधौगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-E)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/836.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नटाई जिसका पंजीयन क्रमांक 957, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/599, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. कोरी, C.E.O. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-F)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/837.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीलाघाटा जिसका पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 07 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/602, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत C.E.O., राघौगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-G)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/838.—एक्शन बैट्री उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 17 सितम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/605, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-H)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/839.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 768, दिनांक 30 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/603, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गुप्ता, C.E.O. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-I)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/840.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौदा जिसका पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 17 मार्च, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/598, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयविधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एम. धूलिया, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयविधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-J)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/841.—सामान्य मछुआ सहकारी संस्था मर्या., राधोगढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/614, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयविधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राधोगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयविधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-K)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/842.—महाकाल सेनेट्री मार्ट सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 14 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/615, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एम. धूलिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-L)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/843.—शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिसोनिया जिसका पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 09 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/595, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री N.S. BARELIYA, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-M)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/844.—दी गुना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 30 जून, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/592, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री N.S. BARELIYA, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-N)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/845.—आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 14 सितम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/610, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-O)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/846.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरीपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 08 मई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/608, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी, गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-P)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/847.—माँ शक्ति महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 26 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/593, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-Q)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/848.—दिनेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 07 अगस्त, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/594, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-R)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/849.—जय दुर्गे बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, म्याना जिसका पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 31 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/611, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-S)

गुना, दिनांक 25 जुलाई, 2013

क्र./विधि/13/850.—जवाहर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 01 अप्रैल, 1981 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/590, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. आपकी संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. कोरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(542-T)

सी. पी. सिंह भदौरिया,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

ओशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

ओशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1138, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2013 को पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(519)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री राजीव जैन,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मनीषा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, भोपाल।

मनीषा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, भोपाल के सम्बन्ध में संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री राजीव जैन, द्वारा दिनांक 08 मई, 2013 को पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है।
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं।
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में कार्य नहीं किया है।
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह “कारण बताओ सूचना-पत्र” जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(519-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

भारत को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल।

पंजीयन क्र. 1497, दिनांक 16 मार्च, 1956.

संस्था अध्यक्ष, श्री गोवर्धन दास एवं 6 अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक 22 मई, 2013 को आवेदन प्रस्तुत कर संस्था द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद कर दिया गया है। संस्था के पास कोई बस नहीं है। कर्मचारियों को नियमानुसार नौकरी से पृथक् कर दिया गया है। संस्था पर किसी बैंक/शासन का कोई कर्ज नहीं है एवं संस्था को आगे नहीं चलाना चाहते, का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत संस्था को परिसमापन में लाने एवं धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त कारणों से प्रथम दृष्टया संस्था को परिसमापन में लाने हेतु पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संस्था की विशेष साधारण सभा में समस्त सदस्यों के विचाराधीन रखा जावे तथा विशेष साधारण सभा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था के समस्त सदस्यों को उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(519-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री राजीव जैन,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

एम. ई. एस. कर्मचारी साख संस्था मर्यादित, भोपाल.

एम. ई. एस. कर्मचारी साख संस्था मर्यादित, भोपाल के संबंध में संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री राजीव जैन द्वारा दिनांक 08 मई, 2013 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(519-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

प्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./30, दिनांक 02 नवम्बर, 1959 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(519-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तोशिबा आनंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—श्री राधेश्याम बावडिया कलां, भोपाल.

तोशिबा आनंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./628, दिनांक 26 फरवरी, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 21 मई, 2013 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है।
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(519-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

देवकीनंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल।

देवकीनंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./511, दिनांक 28 अगस्त, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है।
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं।
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है।
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(519-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—श्री रोहित कुमार S/o मदन मोहन,

बी-2/309, शीतल नगर, बैरसिया रोड, भोपाल.

जया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./631, दिनांक 27 मार्च, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह “कारण बताओ सूचना-पत्र” जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(519-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री विनोद जैन,

प्रभारी अधिकारी,

श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पंजीयन क्र. 746, दिनांक 30 सितम्बर, 1997.

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 25 जून, 2013 को आवेदन प्रस्तुत कर संस्था के वर्तमान में मात्र 21 सदस्य हैं, संस्था के पास कोई भूमि नहीं है, भूमि का मूल्य अत्याधिक होने के कारण संस्था भूमि क्रय एवं भूखंड विकसित करना नहीं चाहती, संस्था के सदस्य, पदाधिकारी संस्था को आगे चलाने के इच्छुक नहीं हैं, का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत संस्था को परिसमापन में लाने एवं धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है.

उपरोक्त कारणों से प्रथम दृष्टया संस्था को परिसमापन में लाने हेतु पर्याप्त आधार हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संस्था की विशेष साधारण सभा में समस्त सदस्यों के विचाराधीन रखा जावे तथा विशेष साधारण सभा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था के समस्त सदस्यों को उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(519-H)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 7 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/458.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4718, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के द्वारा जय रणजीत सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./आय.डी.आर./2073, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-बी-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त (सहकारिता).

(520)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	183/06-04-1996	3082/24-10-2007
2.	शिव शक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	184/19-05-1996	3082/24-10-2007
3.	लवकुश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	189/17-06-1976	2611/11-09-2007

1	2	3	4
4.	विश्वास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	210/21-01-1978	287/22-07-1998
5.	पदमश्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	561/27-04-2004	3082/24-10-2007
6.	कंचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	646/27-11-1996	46/04-01-2005
7.	किरण को-ऑपरेटिव सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	894/30-04-2007	1801/26-07-2007
8.	टीचर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	101/31-01-1957	2778/25-09-2007
9.	ग्रेटर बाबा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	701/09-10-1997	856/05-01-2008
9.	वास्तु ट्रॉन्सपोर्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	671/15-05-1997	144/07-01-2005
10.	ई. जी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	427/21-11-1986	3082/24-10-2007

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एम. एम. श्रीवास्तव,
उप-अंकेक्षक.

(520)

कार्यालय परिसमापक, इंदूर परस्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 11 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./पी.के./परि./13/2.—उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इंदौर के आदेश क्रमांक-परिसमापन/13/933, दिनांक 08 मार्च, 2013 से इंदूर परस्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर पंजीयन क्रमांक डी.आर./आई.डी.आर./252, दिनांक 22 मई, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) में मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है. सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर कार्यालयीन दिवसों में समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता जिला इंदौर, श्रम शिविर, जेल रोड, इंदौर में मय प्रमाण के

लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रेकार्ड किसी के पास हो तो अविलंब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे। यदि बाद में ज्ञात हुआ कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रेकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनके वसूलने के लिये विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

यदि संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

प्रमोद तोमर,
परिसमापक.

(521)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	कासागार कर्मचारी गृह नि. सह. संस्था, इंदौर	115/26-12-58	47/04-01-05
2.	ग्रामोद्योग गृह निर्माण सह. संस्था, बड़ोदिया खान	201/26-08-44	1082/24-10-07
3.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, भैसलाय	21/01-06-60	363/17-01-03
4.	गांधी हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	43/10-10-62	4460/23-08-03
5.	SBI साकेत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	88/12-05-67	5725/14-12-94
6.	भारतीय मित्र मण्डल गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	89/16-05-67	6022/03-08-04
7.	आक्ट्राय कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, महू	91/25-05-67	5615/08-12-94
8.	इन्दौर बैराठी कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	99/22-11-56	110/06-01-01
9.	पंजाब खालसा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	102/26-08-59	3033/17-07-03
10.	मालवीका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	111/29-10-69	3412/26-07-86

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(523)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	लोकमान्य गृह निर्माण सह. संस्था, महू	136/08-06-53	853/28-02-2000
2.	गांधी आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	164/17-06-74	7703/27-11-99

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयबाधे उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

दीपक जोशी (A.O.),
परिसमापक.

(523-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	मध्यप्रदेश डब्लपमेंट क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, इन्दौर	AR/IDR/2016/29-12-2000	आ. क्र. 2571/31-05-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

शीला शर्मा (S.C.I.),
परिसमापक.

(524)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री क्लायथ मार्केट हम्माल गृ. नि. स. सं., इन्दौर	343/01-09-83	712/15-02-05
2.	आशुतोष गृ. नि. स. सं., इन्दौर	371/16-07-84	714/15-02-05
3.	अरावली गृ. नि. स. सं., इन्दौर	591/20-11-95	1630/20-02-09
4.	शान्ता गृ. नि. स. सं., इन्दौर	682/18-09-90	2618/11-09-07
5.	वृन्दावन गृ. नि. स. सं., इन्दौर	23/06-08-60	2620/11-09-07
6.	नन्दन विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था, इन्दौर	754/23-07-99	2616/11-09-07

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

जी. डी. स्वर्णकार (C.I.),
परिसमापक.

(525)

कार्यालय परिसमापक, एज्युकेशनिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., डेली कॉलेज कम्पाउण्ड, इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

एज्युकेशनिस्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/428, दिनांक 24 नवम्बर, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(526)

कार्यालय परिसमापक, भारत सेवक समाज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 81 कैलाश पार्क, मल्हारगंज, इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भारत सेवक समाज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/304, दिनांक 23 मई, 1981 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(526-A)

कार्यालय परिसमापक, टी. बी. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., टी. बी. हॉस्पिटल, इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

टी. बी. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/426, दिनांक 20 अक्टूबर, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत में, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के

मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(526-B)

कार्यालय परिसमापक, श्री देवी अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 59/2 वीर सावरकर मार्केट, इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री देवी अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इंदौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/415, दिनांक 18 जून, 1985 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मैं, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(526-C)

कार्यालय परिसमापक, आनन्द विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 286 साकेत नगर, इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आनन्द विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इंदौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/422, दिनांक 28 अगस्त, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मैं, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(526-D)

कार्यालय परिसमापक, प्रतीक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., 80 इमली बाजार, इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रतीक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/IDR/423, दिनांक 22 अगस्त, 1986 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./12/3425, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मैं, एस. एन. खण्डेलवाल, सह. निरीक्षक, जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, श्रम शिविर, जेल रोड, जिला इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(526-E)

एस. एन. खण्डेलवाल,
परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2013-आश्विन 19, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 जून, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), पोहरी (शिवपुरी), गुन्नोर (पन्ना), सिरमौर (रीवा), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, कुसमी (सीधी), मंदसौर, संजीत (मंदसौर), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, आगर, बड़ोद, शाजापुर (शाजापुर), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), बेगमगंज, गोहरगंज, उदयपुरा (रायसेन), कटनी, रीठी (कटनी), शाहपुरा (डिण्डोरी), लाँजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील करहाल (श्योपुर), बमोरी (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, वल्लदेवगढ़ (टीकमगढ़), लौण्डी, बक्स्वाहा (छतरपुर), पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), त्योथर, सेमरिया (रीवा), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा (मंदसौर), रायसेन, सिलवानी (रायसेन), विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास, घुघरी (मण्डला), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील केलारस (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), सेंवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), करैरा (शिवपुरी), टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), बड़ामलहरा (छतरपुर), बीना, खुरई, सागर, रेहली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), जेतहरी (अनूपपुर), सिंहावल (सीधी), भानपुरा, गरोठ (मंदसौर), बड़वानी (बड़वानी), गैरतगंज (रायसेन), बहोरीबंद, बरही (कटनी), बिछिया (मण्डला), बरघाट (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, लहार, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), गुना, राधौगढ़, आरोन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी, पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बण्डा, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), हनुमना, हजूर (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मल्हारगढ़, धुन्धडका, सीतामऊ, शामगढ़ (मंदसौर), जावरा, अलोट, सैलाना, बाजना, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), खाचरौद, महिदपुर,

तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), लटेरी, सिंरोज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर), भैसदेही, घोड़ाडोगरी, शाहपुरा, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, मझौली, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), नैनपुर, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, कुरई, घंसौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, कंटगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील गोहद (भिण्ड), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), वनखेड़ी (होशंगाबाद), धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला मुरैना, श्योपुर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, देवास, झाबुआ, धार, इन्दौर, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा में जुताई व ग्वालियर, अनूपपुर, सिवनी में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला होशंगाबाद में खरीफ फसल सोयाबीन व डिण्डोरी में मक्का की बोनी व दतिया, पन्ना, सागर, मंदसौर, उज्जैन, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, भोपाल, सीहोर, रायसेन, छिन्दवाड़ा एवं इन्दौर, बड़वानी, बैतूल में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19 जून, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	100.0				
2. पोरसा	109.0				
3. मुरैना	71.0				
4. जौरा	72.0				
5. सबलगढ़	69.0				
6. कैलारस	45.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	8.0				
2. कराहल	24.0				
3. विजयपुर	14.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	122.0				
2. भिण्ड	69.0				
3. गोहद	258.0				
4. मेहगांव	114.0				
5. लहार	110.2				
6. मिहोना } 7. रौन }	86.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	71.6				
2. डबरा	48.0				
3. भितरवार	62.0				
4. घाटीगांव	85.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	38.0				
2. दतिया	48.0				
3. भाण्डेर	35.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	114.0				
2. पिछोर	85.1				
3. खनियाधाना	82.0				
4. नरवर	132.0				
5. करैरा	45.0				
6. कोलारस	136.0				
7. पोहरी	9.0				
8. बदरवास	165.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	56.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधौगढ़	56.0		(2)	
3. बमोरी	33.0				
4. आरोन	76.0				
5. चाचौड़ा	93.0				
6. कुम्भराज	64.0				
7. मकसूदनगढ़	..				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	175.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	29.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	22.0				
4. टीकमगढ़	35.0				
5. बल्देवगढ़	33.0				
6. पलेरा	78.0				
6. ओरछा	46.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	33.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	108.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	55.0				
4. छतरपुर	124.5				
5. राजनगर	59.6				
6. बिजावर	68.0				
7. बड़ामलहरा	40.0				
8. बकस्वाहा	25.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	58.5		4. (1) मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	23.0		गेहूँ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	14.0		(2) ..		
4. पवई	22.0				
5. शाहनगर	27.4				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	49.6		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	44.0		उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	67.7		सोयाबीन समान.		
4. सागर	52.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	42.2				
6. देवरी	203.4				
7. गढ़ाकोटा	64.0				
8. राहतगढ़	135.9				
9. केसली	161.4				
10. मालथोन	49.6				
11. शाहगढ़	40.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. हटा	168.0		4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. बटियागढ़	133.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	135.1				
4. पथरिया	88.0				
5. जवेरा	72.0				
6. तेन्दूखेड़ा	189.0				
7. पटेरा	148.0				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	26.0		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	17.0		जौ, मसूर, राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मऊगंज	23.2				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	62.3				
7. हजूर	66.0				
3. गुढ़	51.0				
9. रायपुरकचुलियान	45.0				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	37.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	19.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	28.2				
4. पुष्पराजगढ़	94.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	15.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	16.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	16.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिंहावल	35.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	4.0				
4. कुसमी	10.0				
5. चुरहट	31.0				
6. रामपुरनैकिन	17.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	27.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	35.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	71.0				
4. गरोठ	43.4				
5. मन्दासौर	2.0				
6. सीतामऊ	57.4				
7. धुन्धड़का	71.0				
8. संजीत	17.0				
9. शामगढ़	71.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	104.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	62.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	150.0				
4. बाजना	125.0				
5. पिपलौदा	125.0				
6. रतलाम	130.8				
7. ताल	..				
8. रावटी	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	59.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	126.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	160.0				
4. घटिया	103.0				
5. उज्जैन	117.0				
6. बड़नगर	67.0				
7. नागदा	73.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	7.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	8.0				
5. बड़ौद	5.0				
6. शाजापुर	10.0				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	11.0				
2. मेघनगर	11.0				
3. पेटलावद	4.0				
4. झाबुआ	5.0				
5. राणापुर	5.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. राणापुर	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	108.2				
2. सरदारपुर	171.0				
3. धार	126.8				
4. कुक्षी	129.9				
5. मनावर	114.0				
6. धरमपुरी	72.0				
7. गंधवानी	76.0				
8. डही	141.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल खरीफ बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	49.4				
2. ठीकरी	108.0				
3. राजपुर	133.0				
4. सेंधवा	144.0				
5. पानसेमल	163.0				
6. पाटी	118.0				
7. निवाली	99.0				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	119.4				
2. खकनार	310.2				
3. नेपानगर	251.7				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	118.0				
2. सिरोंज	96.0				
3. कुरवाई	64.6				
4. बासौदा	94.6				
5. नटेरन	135.0				
6. विदिशा	71.4				
7. ग्यारसपुर	60.4				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	70.5				
2. हुजूर	143.7				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	127.0				
2. आष्टा	111.0				
3. इछावर	91.0				
4. नसरुल्लागंज	198.0				
5. बुधनी	90.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	20.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	49.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	7.6				
4. गोहरगंज	1.0				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	24.4				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	1.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	152.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	76.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	95.4				
4. चिंचोली	94.3				
5. बैतूल	144.8				
6. मुलताई	62.5				
7. आठनेर	87.0				
8. आमला	145.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	147.4		4. (1) मूँग मोठ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	123.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	119.0				
4. इटारसी	89.2				
5. सोहागपुर	112.0				
6. पिपरिया	141.0				
7. वनखेड़ी	279.8				
8. पचमढ़ी	208.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोरा	71.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	95.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	105.0				
4. जबलपुर	179.0				
4. कुण्डम	107.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	9.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	10.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	33.0				
4. बहोरीबंद	43.2				
5. ढीमरखेड़ा	20.0				
6. बरही	49.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	18.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	41.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	163.6				
4. मण्डला	62.9				
5. घुघरी	27.8				
6. नारायणगंज	93.5				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	58.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	16.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	109.2		4. (1) मक्का धान, मूँगा, उड़द, मूँगफली अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	131.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	127.7				
4. बरघाट	50.2				
5. कुरई	141.0				
6. घंसौर	138.0				
7. धनोरा	284.0				
8. छपारा	192.7				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	53.8		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	15.0		राई-सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	73.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	29.4				
5. कटंगी	64.6				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, सतना, शहडोल, प. निमाड़, राजगढ़ व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(510)